XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 1577–दो/15 जिला–सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–7–15	आवेदक की ओर से श्री एस.पी.धाकड., अभि. उप. । उन्हें रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना गया । आवेदक अभि. के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। विचारोपरान्त प्रकरण में अनुपस्थिति का कारण समाधानकारक होने से मूल प्रकरण पुर्नस्थापित किया जाता है । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क.   /2015 रेस्टो.

रेस्टो 1577-II-15

लखपति सिंह बघेल श्री शम्भू निवासी ग्राम गजरी तह. मझौली जिला सीधी म.प्र.

——— आवेदक

विरूद्ध

1. श्रीमती शान्ती वेवा रणबहादुर सिंह
2. अखिलेश सिंह
3. सरस्वती
4. लक्ष्मी सिह
5. अनुसुईया

(2 से 5) पत्रुगण रणबहादुर सिंह

6. वीरेश कुमार पुत्र श्री हरगोपाल सिह निवासी ग्राम गजरी तह. मझौली जिला सीधी म.प्र.
7. म.प्र. शासन

——— अनावेदकगण

श्री एस. पी. ... द्वारा आज दि. 16/06/15 को प्रस्तुत

क्लर्क आफ कोर्ट 16/6/15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

संहिता की धारा 35(3) के अधीन आवेदन पत्र वास्ते मूल प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने बावत

मान्यवर,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है :—

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष एक निगरानी प्रस्तुत की है। उक्त निगरानी में प्र.कं. 1189/2007 में पेशी दिनांक 29.04.2015 में नियत थी। आवेदक के अभिभाषक ग्वालियर से बाहर गये थे। जिसके लिये सहयोगी अभिभाषक श्री डी.एस चौहान को दूर भाष पर अवगत कराया कि मेरे प्रकरण श्रीमान के न्यायालय में नियत है। उन्हें अवगत करा देना कि नियत पेशी पर उपस्थित नहीं हो सकूंगा। फिर भी माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को अभिभाषक की अनुपस्थिती मानकर संहिता की धारा 35(2) अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है।

2. यह कि, प्रकरण को अनुपस्थिती के कारण अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है। परन्तु अभिभाषक की त्रुटि नहीं मान सकते हैं क्यों कि, प्रकरण में आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्वालियर से बाहर अचानक जाना पड़ा जिसकी सूचना माननीय न्यायालय को अपने साथी अभिभषक श्री डी.एस. चौहान के माध्यम से भिजबादी गई है। फिर भी मान. न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को अभिभाषक की अनुपस्थित के कारण निरस्त करने में महान वैधानिक भूल की है। इसकी सूचना आवेदक को नही दी गई इस कारण उक्त आवदेन पत्र समय सीमा में होने से मूल प्रकरण पुन नं. पर लिया जाना न्योयोचित होगा।

3. यह कि, आवेदक को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए अभिभाषक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पेरवी में संहिता की धारा 35 (2) के अधीन निरस्त कर दिया गया है। इस कारण प्रकरण का निराकरण गुण दोषों पर पारित किया जाना उचित है।

4. यह कि, आलौच्यि आदेश दिनांक 29.04.2015 की जानकारी सर्वप्रथम न्यायालय में अदम पैरवी में निरस्त करने की लिष्ट चस्पा करने पर ज्ञात हुआ। इस कारण आवेदन पत्र सदभाविक होने से ग्राहय योग्य हैं।

16.6.15